उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 47/2016

राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु महतो वनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
29-08-2018	–:: आदेश ::–	

अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु महतो पिता कुलेश्वर महतो, साकिन नावाडीह, थाना माण्डू, जिला रामगढ़ द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–111/2012 राज्य वनाम् राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र महतों में दिनांक 24/06/2016 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 (B) के तहत् अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का का वहस सुना, समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। अपीलर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद में उल्लेखित सुसंगत धारा अर्न्तगत दायर अपील की सुनवाई करने हेतु अधोहस्ताक्षरी न्यायालय सक्षम प्राधिकार अर्न्तगत आते हैं या नहीं के सम्बन्ध में असमर्थता जताई गई। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कोयला से लदा स्वराज ट्रेक्टर, टेलर सहित वनक्षेत्र अर्न्तगत जप्त किया गया है, तत् पश्चात् नियमानुसार विधिवत् कार्रवाई की गई है। साथ ही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त परिपेक्ष्य में किसी प्रकार का दावा–दस्तावेज न्यायालय के समक्ष उपस्थापन करने में असमर्थ रहे हैं।

उक्त परिपेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

29/8/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

29/8/18

उपायुक्त,
रामगढ़

Scanned by CamScanner